

प्रेषक,

ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 14 फरवरी, 2020

विषय: आबकारी वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के समस्त आबकारी दुकानों के नवीनीकरण की तिथि के विस्तार एवं सरलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: जी-235/दस लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/रिट याचिका/2020-2021, दिनांक 08.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आबकारी वर्ष 2020-21 के लिये फुटकर आबकारी दुकानों के नवीनीकरण के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है-

"ऐसी समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप एवं भांग की दुकानों, जिन्होंने प्रथम चरण के ई-नवीनीकरण प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, के नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वे दिनांक 29.02.2020 तक नवीनीकरण हेतु आवश्यक अर्हता प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 29.02.2020 तक अर्हता प्राप्त करने में विफल रहने पर आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में फुटकर दुकानों की नवीनीकरण की प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उनके द्वारा जमा की गयीं धनराशियां राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायें। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करने एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार समस्त देयताओं को जमा करने वाले समस्त अनुज्ञापियों को अपनी दुकान के नवीनीकरण का एक अवसर प्रदान किया जाये। दिनांक 31.12.2019 तक अर्हता प्राप्त कर चुकी दुकानों के ऐसे अनुज्ञापियों जिन्होंने ई-नवीनीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु किन्हीं कारणों से औपचारिकतायें पूर्ण नहीं कर सके हैं, को भी नवीनीकरण हेतु

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आवश्यक औपचारिकतायें आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने का अवसर भी प्रदान किया जाये।

प्रतिबंध यह होगा कि आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 02 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अन्तर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 25 मार्च, 2020 तक जमा की जा सकेगी तथा दिनांक 31.03.2020 तक आवश्यक अर्हता भी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। शेष शर्तें यथावत लागू होंगी।"

3. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय)

विशेष सचिव

-
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।